पत्रिका

सहायक उपनिरीक्षक प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मांगा जवाब

बिलासपुर @ पत्रिका. सहायक उप निरीक्षक चालक के पद पर जारी पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं। इसके साथ ही डीजीपी सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रधान आरक्षक चालक से सहायक उप निरीक्षक एमटी, चालक के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की हैं। इसके लिए जारी योग्यता सूची के आधार पर प्रधान आरक्षक एमटी चालक से सहायक उप निरीक्षक एमटी चालक के पद पर पदोन्नत किए जाने का आदेश 27 जून 2025 को जारी हुआ था। इसमें 29 प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक चालक के पद पर पदोन्नति जारी करने का आदेश जारी किया गया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरी पदोन्नति सूची पर आगामी आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी हैं।

महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को चुनौती

बिलासपुर @ पत्रिका. राज्य शासन द्वारा अधिनियम के माध्यम से दुर्ग में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उद्यानिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए। नियुक्ति हेतु एक तीन सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया। विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात 38 आवेदन प्राप्त हुए। चयन समिति द्वारा 8 नामों का पैनल तैयार कर राज्यपाल के सचिवालय को प्रेषित किया गया और परीक्षण उपरांत डॉ. आरआर सक्सेना को उद्यानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता डॉ. अवनिन्द्र कुमार सिंह ने उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिका में बताया गया कि कुलपति की नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। आवेदनकर्ताओं के आवेदन एवं उनके द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का तुलनात्मक परीक्षण ही नहीं किया गया हैं। याचिका में आधार लिया गया कि चयन प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर चयन सूची जारी नहीं की गई और न ही आवेदकों को मेरिट के आधार पर अंक प्रदान किए गए। याचिकाकर्ता द्वारा धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो याचिकाकर्ता सभी मापदंडों में अधिक योग्य हैं। उच्च न्यायालय ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य शासन एवं महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैं।

06/07/2025 | Raipur City | Page : 8
Source : https://epaper.patrika.com/